9/6/15 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी की तामील हो चुकी है। प्रार्थी वकील ने एकतरफा बहस की। बहस को सुना एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रतिवाद पत्र अं.क्र. 242 एवं डी. एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जाब्ता दीवानी बराबर अर्जी एवं अं. दफा 540, 541, 2720/554 वाले ग्राम कोटकासिम खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसलमेर सुपुर्द सोफर नम्बर 1 में बाद के तथा वाद खारिज नस्ल बरकरार रहे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner